

प्रेषक,

श्री. अ. शा. म.
विद्या मंदिर,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

श्री. अ. शा. म.
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या मंदिर-2, उत्तर प्रदेश,
प्रति शिक्षा विभाग ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2002


विषय:-

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से सी.बी.एस.सी. परीक्षाओं के संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले के संबंध में ।

महोदय,

उत्प्रेषित शिक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जिनके द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से सी.बी.एस.सी. परीक्षाओं के संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाई/मैनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।


PRINCIPAL
JAYPEE VIDYA MANDIR
ANOOPSHAHR

- 15। संस्था शिक्षक एवं शिक्षक-उत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री. अ. शास्त्री

पू०सं०- 2623

11/15-7-तदु दिनांक 27-7-2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~अ. शास्त्री~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~अ. शास्त्री~~ ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~अ. शास्त्री~~ ।
- 6- गार्ड बुक ।

Sarunee
PRINCIPAL
JAYPEE VIDYA MANDIR
ANOOPSHAHR

आज्ञा से,

श्री. अ. शास्त्री